न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लुणी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल परिहार RAS

राजस्व अपील संख्या – 9 / 2021

अपीलांट	बनाम्	रेस्पोडेन्टस
01.गंगाराम पुत्र स्व0 चौखाराम पुत्र स्व0 रामचन्द्र पुत्र स्व0 जैरूप 02.रामनिवास पुत्र स्व चौखाराम पुत्र स्व0 रामचन्द्र पुत्र स्व0 जैरूप 03.सत्यप्रकाश पुत्र स्व0 चौखाराम पुत्र स्व0 रामचन्द्र पुत्र स्व0 जैरूप 04.हडमान पुत्र स्व0 चौखाराम पुत्र स्व0 रामचन्द्र पुत्र स्व0 जैरूप 05.सुभाष पुत्र स्व0 चौखाराम पुत्र स्व0 रामचन्द्र पुत्र स्व0 जैरूप 06.मूली पुत्री स्व0 चौखाराम पुत्र स्व0 रामचन्द्र पुत्र स्व0 जैरूप 07.मंजू पुत्री स्व0 चौखाराम पुत्र स्व0 रामचन्द्र पुत्र स्व0 जैरूप जाति विश्नोई निवासीगण ग्राम लूणी तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01.किसनाराम पुत्र स्व0 कोजाराम एव स्व0 चुन्नी 02.शिवाराम उर्फ शिवलाल पुत्र स्व0 कोजाराम एव स्व0 चुन्नी 03.सोनाराम पुत्र स्व0 कोजाराम एव स्व0 चुन्नी 04.घेवरराम पुत्र स्व0 कोजाराम एव स्व0 चुन्नी 05.नैनूराम पुत्र स्व0 कोजाराम एव स्व0 चुन्नी जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम लूणी तहसील लूणी जिला जोधपुर। 06.ग्राम पंचायत लूणी (चवा) जरिये सरपंच।

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू –राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 49 (43) ग्राम पंचायत चवा वर्तमान ग्राम पंचायत लूणी तहसील–लुणी, जोधपुर द्वारा दिनांक निल को खसरा सख्या 108 रकबा 93 बीघा 19 बिस्वा जो चुन्नी के हक मे को पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता – प्रेम कुमार देवडा।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 की और से अधिवक्ता–मोतीसिह राजपुरोहित।

:: आदेश ::

दिनांक : 06/02/2023

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 49 (43) ग्राम पंचायत चवा वर्तमान ग्राम पंचायत लूणी तहसील लूणी जिला जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। अपील में वर्णित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि तत्कालीन ग्राम चॅवा वर्तमान ग्राम पंचायत लूणी जिला जोधपुर मे खसरा सख्या 108 की कुल रकबा 93 बीधा 19 बिस्वा कृषि भूमि मूल रूप से रामचन्द्र पिता जैरूप अपीलाण्ट के दादा की खातेदारी की कृषि भूमि थी उक्त कृषि भूमि रामचन्द्र के फौत होने पर केवल मात्र उनकी पुत्री चुन्नी के नाम से बिना किसी रजिस्ट्रर्ड हस्तान्तरण विलेख के नामान्तरकरण संख्या 49 (43) के द्वारा दर्ज कर दी गयी। उक्त नामान्तरकरण स्वीकुति के समय रामचन्द्र के प्रथम श्रेणी के वारिसानो को किसी प्रकार का कोई सुनवाई का अवसर ही नही दिया गया एवं बिना किसी आधार के केवल मात्र एक चुन्नी के नाम से उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि उनके नाम से दर्ज कर दी गयी जबकि रामचन्द्र के फौत होने के पश्चात सभी विधिक वारिसानो को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रथम श्रेणी के सभी वरिसानो के नाम से दर्ज की जानी चाहिये थी। इसलिए नामान्तरकरण संख्या 49 (43) बिना किसी आधार के तथा सभी विधिक वारिसानो के नाम से दर्ज नही होने से शुरू से ही शुन्य एव प्रभावहीन है ऐसे नामान्तरकरण के आधार

उपखण्ड अधिकारी, लूणी

पर रेस्पोडेन्ट्स को कोई खातेदारी अधिकारी प्राप्त नही हुए है ग्राम पंचायत के समक्ष नामान्तरकरण और अपील को स्वीकृत करने से पूर्व सभी विधिक वारिसानों की जॉच की जानी चाहिये थी लेकिन ग्राम पंचायत एवं राजस्व कर्मचारियों ने रेस्पोडेण्ट्स की माता चुन्नीदेवी से मिलीभगत करते हुए उनके हक मे बिना रजिस्टर्ड हस्तान्तरण विलेख के नामान्तरकरण संख्या 49 (43) दर्ज करते हुए स्वीकृत कर दिया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। विवादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थीगण बहैसियत खातेदार के काबिज है तथा उक्त नामान्तरकरण की आड मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 अपीलाण्ट को अपने खातेदारी अधिकारो से वंचित करने मे तुले हुए है। नामान्तरकरण और अपील की कार्यवाही करने एवं इसे स्वीकार करने मे हल्का पटवारी राजस्व निरीक्षक तथा ग्राम पंचायत ने राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू लैण्ड रेकर्ड रूल्स की नितान्त अवहेलना की है इस कारण भी अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। इसके साथ ही अपीलाण्ट ने म्याद अधिनियम के तहत धारा –5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन नामान्तरकरण कानूनी प्रावधानो के विपरीत एवं प्रार्थी को बिना सुने पारित किया गया है जो शुन्य श्रेणी का होने जिनको चैलेन्ज करने की कोई म्याद नही है ऐसी स्थिति मे प्रस्तुत अपील मे विलम्ब को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर सुनवाई कर आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण की अपील दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। तमील समन प्राप्त व रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 से 5 की ओर से जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन से स्पष्ट है कि इस अपील मे किसी प्रकार द्वारा रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का खण्डन नही किया गया इसलिए न्यायहित मे अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के उचित प्रतीत होने पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया गया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण सख्या 49 (43) जो कि तत्कालीन ग्राम पंचायत चँवा वर्तमान ग्राम पंचायत लूणी द्वारा दिनांक निल को खसरा सख्या 108 रकबा 93 बीघा 19 बिस्वा जो चुन्नी के हक मे बिना किसी रजिस्ट्रर्ड हस्तान्तरण विलेख के स्वीकृत किया गया जो उतराधिकारी वारिसान के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण गहन जॉच कर पक्षकारों को नोटिस देकर सुना जाने के बाद ही नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिये था, जो ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा नहीं किया गया जो विधि विरूद्व है तथा ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकण संख्या 49 (43) जो भरा गया उसे खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया गया कि ग्राम पंचायत चँवा वर्तमान ग्राम पंचायत लूणी द्वारा जो नामान्तरकरण सख्या 49 (43) भरा गया वो सही व विधि समत भरा गया तथा अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाने का निवेदन किया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर नामान्तकारण सख्या 49 (43) ग्राम पंचायत चॅवा वर्तमान ग्राम पंचायत लूणी द्वारा भरा गया जो नामान्तरकरण सख्या 49 (43) को निरस्त किया जाता है तथा पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है प्रकरण तहसीलदार लूणी को प्रति प्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि स्व0 रामचन्द्र पुत्र जैरूप के सभी विधिक वारिसान की जॉच कर नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(गोपाल परिहार)RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
लुणी, जिला जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

Scanned by CamScanner